कोर्ट केस अति आवश्यक

सं॰सं॰–2/आर–11/2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : **डा॰ विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास के बकाया वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः **विभागीय अधिसूचना संख्या–976(9) दिनांक–21.08.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि डा॰ विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास को विभागीय अधिसूचना संख्या–205(9) दिनाक–10.03 2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में सशर्त्त संचिकास्त करते हुए इन्हे आरोप मुक्त किया गया है। पुन. विभागीय अधिसूचना संख्या–976(9), दिनांक–21.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा डा॰ विजय कुमार के निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी अवधि का भुगतान करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

वर्णित स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या–976(9) दिनांक–21.08 2025 के अनुपालन में नियमानुसार भुगतान करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

मामला अवमाननावाद संख्या–3677/2024 से संबंधित है, इसमें अगली सुनवाई दिनाक–29 08.2025 को निर्धारित है। अत उच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2/आर–11/2025– 1542(2) **पटना, दिनांक** 26/8/ **2025**

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले॰ एव ह॰) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **साथ ही अनुरोध है कि मामला अवमाननावाद संख्या–3677/2024 से संबंधित है, इसमें अगली सुनवाई दिनांक–29.08.2025 को निर्धारित है। अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक यथाशीघ्र वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।**

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदधिकारी, नालंदा/रोहतास/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D>Sec-2>2024>Letter(R)2024

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकार, नालंदा/रोहतास/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोंहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः डा० विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी 3, 7, 8, 9, 10, 17 एव 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D Sec 2-2024-Letter(R)2024